न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 68/2021

उनवान

1. सुशपाल आत्मज रामगोपाल जी जाति मीणा
2. जानकीलाल आत्मज रामगोपाल जी जाति मीणा
3. राधेश्याम आत्मज रामगोपाल जी जाति मीणा
4. रामदयाल आत्मज रामगोपाल जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा तहसील कनवास जिला कोटा

—अपीलान्ट

बनाम

रामकल्याण आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम दरा स्टेशन मोरूकला तहसील कनवास जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री दयानन्द राठौर (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0टी0 एक्ट 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2021 न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा कार्यवाही 183 बी0 राज0 का0 अधि0 प्रकरण 15/2020 बउनवान रामकल्याण बनाम सुशपाल

निर्णय दिनांक :24.10.2024

अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास मे रामकल्याण आत्मज बद्रीलाल ने अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा निर्णय दिनांक 15.02.2021 से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सुशपाल, जानकीलाल वर्गे0 रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 24.11.2021 को पेश की गई। अपील पेश होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट, की ओर से श्री दयानन्द राठौर एडवोकेट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का बहस अपील में कथन है यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम चरडिया उर्फ काशीपुरा तहसील कनवास स्थित आराजी ख0न0 11 रकबा 2.43 है0 आराजी अपीलान्टन को कब्जे काश्त की आराजी है,जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटि पूर्ण रूप से अपीलाण्ट की माता मथुरी बाई के नाम दर्ज कर दिया तथा मथुरीबाई के साथ यूनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा दरा द्वारा मिली भगत कर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करवा ली। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि वर्णित आराजी पर हमेशा से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नहीं होने से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, और न ही रेस्पोडेन्ट कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्णित प्रार्थना पत्र के संबध में अधीनस्थ न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट के विरूद्ध स्वीकार कर लिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। साथ ही अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से भी अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवायी का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी वर्णित आराजी पर काश्त नहीं की है और न ही रेस्पोडेन्ट को कब्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार जब रेस्पोडेन्ट का कभी कोई कब्जा काश्त ही नही रहा तो रेस्पोडेन्ट कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो का गुणावगुण एवं ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहान द्वारा साक्ष्यो में स्वीकार किया है कि वर्णित आराजी पर उनका कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है इस प्रकार बिना कब्जे के ही रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया व नीलामीकर्ता द्वारा भी रेस्पोडेन्ट को कब्जा प्रदान नहीं किया गया साथ ही प्राप्त कब्जा रिपोर्ट से यह भी सिद्ध हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है इस कारण से कब्जे के अभाव में एवं वाद कारण उत्पन्न होने के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का बहस में कथन है कि ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा की आराजी ख0न0 11 रकबा 2.43 है0 भूमि को यूनियम बैक ऑफ इण्डिया शाखा दरा के ऋण का चुकारा नहीं होने के कारण यह भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास के न्यायालय से नीलामी बोली से मेरे द्वारा नीलामी बोली लगाकर दिनांक 22.12.2015 को कय की जिसकी रजिस्ट्री हमारे नाम हुई। पैसा देकर कर जमीन हमने खरीदी। कब्जा प्राप्त कर सेल सर्टिफिकेट पंजीयन दिनांक 15.03.2016 को प्राप्त किया। अब ये 2016 से किस हैसियत से काबिज है। अगर उनको कोई समस्या थी नीलामी को चेलेन्ज क्यों नहीं किया। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय बहाल जावे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम पाते है कि ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा की आराजी ख0न0 11 रकबा 2.43 है0 आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास न्यायालय से नीलामी बोली द्वारा दिनांक 22.12.2015 को 1100000/– रूपये ग्यारह लाख रूपये में केता रामकल्याण पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम दरा द्वारा क्रय की गई थी जिसका विक्रय पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे कम संख्या 220 दिनांक 09.03.2016 को जारी किया गया। तथा प्रार्थी को न्यायालय से कब्जा भी तभी प्राप्त कर खातेदार दर्ज किया जा चुका है। तहसीलदार कनवास द्वारा जिसे बेदखली के आदेश दिये है जिसे हम उचित मानते है। रेस्पोडेन्ट धारा 183 बी के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तहसीलदार कनवास द्वारा अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत की गई बेदखली की कार्यवाही आदेश दिनांक 15.02.2021 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपील अस्वीकार योग्य पाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कलेक्टर
कोटा